-1-

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर
(समक्ष: श्री एम.के. सिंह, सदस्य)

प्रकरण क्रमांक /2014 रिव्यू 3797-II/14

ए.के. अग्रवाल एडवोकेट
14-11-14

गजराज सिंह पुत्र काशीराम दांगी,
निवासी - ग्राम लखाहार तहसील बीना
जिला सागर -- आवेदक

बनाम

1- (मृत) सीमाबाई पुत्री (पन्नालाल पत्नी
चित्तरसिंह वारिसान:-

अ- शेर सिंह दांगी

ब- भैयाराम दांगी

स- दयासिंह दांगी पुत्रगण चित्तर सिंह
निवासीगण - ग्राम टोंड तहसील
मुगावली जिला अशोक नगर

2- तुरेश सिंह पुत्र काशीराम दांगी
निवासी -ग्राम लखाहार तहसील बीना
जिला सागर ---अनावेदकगण

A.K. AGARWAL
14-11-14

रिव्यू प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 51 म.प्र. भू राजस्व संहिता 1959
विरुद्ध आदेश दिनांक 15.10.2014 पारित सदस्य माननीय
एम.के. सिंह. न्यायालय राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर प्रकरण
क्रमांक 2202 -तीन/06.

---

श्रीमानजी,

आवेदक की ओर से रिव्यू आवेदन पत्र निम्नप्रकार प्रस्तुत है :-

(1) यह कि, आलोच्य आदेश जो श्रीमान जी के द्वारा पारित किया गया है उसमें प्रथम दृष्टया तथ्यों एवम कानूनी की त्रुटि हुई है जिससे प्रार्थी न्याय प्राप्त नहीं कर सका है। अतएव उक्त आलोच्य आदेश पुनर्विलोकन किये जाने योग्य है।

(2) यह कि, प्रकरण में मृतक राजबाई द्वारा अपने जीवनकाल

## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

### अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

**प्रकरण कमांक रिव्यु 3797–दो/14** **जिला –सागर**

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेष | पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 4.5.16 | आवेदक की ओर से श्री ए0 के0 अग्रवाल अधिवक्ता उपस्थित। अनावेदकगण को रजिस्ट्री द्वारा सूचना दी गई लेकिन उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ और उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। आवेदक पक्ष के अधिवक्ता द्वारा प्रकरण में तर्क प्रस्तुत किये । आवेदक पक्ष के अधिवक्ता द्वारा रिव्यु प्रकरण के प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया।<br>2–यह रिव्यु आवेदन–पत्र इस न्यायालय के प्रकरण कमांक निगरानी 2202–तीन/2006 में पारित आदेष दिनांक 15.10.14 के विरूद्ध प्रस्तुत पुनर्विलोकन प्रकरण कमांक 3797–दो/14 के तथ्यों पर आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने गये ।<br>3– आवेदक के अधिवक्ता की ओर से पुनर्विलोकन आवेदन में उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है जो प्रकरण कमांक निगरानी 2202–तीन/2014 में वर्णित हैं । जिनका निराकरण आदेष दिनांक 15.10.14 से किया जा चुका है।<br>4– रिव्यु प्रकरण कमांक 3797–दो/14 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुनर्विलोकन में जो आधार | |

बताये गये हैं उनके विद्यमान होने पर ही रिव्यु आवेदन स्वीकार किया जा सकता है :–

**अ– नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पष्चात भी नहीं मिल पाई थी।**

**ब– अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती ।**

**स– कोई अन्य पर्याप्त कारण ।**

आवेदक ने रिव्यु का जो आवेदन प्रस्तुत किया है। उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नही पाया जाता है इसलिये इस रिव्यु आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह रिव्यु प्रकरण अग्राह्य किया जाता है। उभयपक्ष सूचित हों । प्रकरण दा0 द0 हो । राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे।

सदस्य